दैनिक
न्याय साक्षी

सहकारी बैंक में करोड़ो रूपए गबन के मामले में शाखा प्रबंधक और सहयोगी गिरफ्तार

बलरामपुर रामनुजगंज ।
आरएनएस

सहकारी बैंक में शासकीय राशि गबन मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने बैंक के शाखा प्रबंधक और सहयोगी को गिरफ्तार किया है।

बलरामपुर रामनुजगंज जिले के रामानुजगंज पुलिस को सहकारी बैंक में करोड़ो रुपए के गबन के मामले में सफलता मिली है। पुलिस फरार चल रहे मास्टर माइंड ब्रांच मैनेजर शंकर राम भगत को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है वहीं मैनेजर के सहयोगी मनोज विश्वास को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

पुलिस के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 06.08.2024 को प्रार्थी अंबिकापुर कॉपरेटिव बैंक के शाखा प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव (54 वर्ष) रामानुजगंज थाने में लिखित आवेदन पेश कर शिकायत दर्ज कराया। जिसमें रामानुजगंज को-ऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक शंकर राम भगत, कैशियर विजय कुमार उइके, कैशियर राजेश पाल, कम्प्यूटर आपरेटर पंकज विश्वास के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर किसानों एवं समितियों को मिलने वाली लोन की राशि एवं समितियों के लाभांश को गैर वित्तीय एवं गैर बैंकिंग नियम के तहत समितियों के खाता धारकों व किसानो के शासकीय रकम को गबन किया गया। जिसके बाद रामानुजगंज पुलिस ने जांच के बाद अपराध क्रमांक 157/2024 धारा 409, 34,120 (बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में ली। पुलिस की जांच में पाया गया कि को-ऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक घटना के मुख्य आरोपी शंकर राम भगत, उम्र 53 वर्ष, जिला सरगुजा निवासी अपने एक संगठित गिरोह बनाकर गबन कर रहा था। गैंग में पंकज विश्वास, राजेश पाल, विजय उडक़े व पंकज विश्वास का भाई मनोज विश्वास शामिल था। अपने पद के प्रभाव से बैंकिंग नियम के विरुद्ध किसानों, समितियों व खाता धारकों को मिलने वाली कृषि कार्य हेतु मिलने वाली लोन की राशि का गबन किया गया था। रामानुजगंज पुलिस के द्वारा पूरे प्रकरण के जांच के दौरान विभिन्न बैंको से आरोपियों के खातों की जानकारी ली गई थी। आरोपियों के खाते से रकम का आहरण एवं समायोजन व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के दो आरोपी विजय उइके और राजेश पाल को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद से फरार आरोपी पंकज विश्वास का भाई मनोज विश्वास की शासकीय राशि गबन के मामले में पूर्ण संलिप्तता पाई गई। जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। इधर, घटना के बाद मुख्य आरोपी ब्रांच मैनेजर शंकर राम भगत भी फरार चल रहा था। इसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि शाखा प्रबंधक शंकर राम भगत को सरगुजा जिले के अंबिकापुर में देखा गया है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर रामानुजगंज थाना लाया गया। जहां उसने जुर्म भी कुबूल किया है।

पूछताछ में आरोपी शंकर राम भगत ने बताया कि संगठित गिरोह बनाकर खुद से फर्जी समितियों का प्रस्ताव चेकबुक और जमा निकासी पर्ची के माध्यम से अधोहस्ताक्षरण कर शासकीय राशि का आहरण व समायोजन कर शासकीय राशि का गबन किया था। मुख्य आरोपी शंकर राम भगत के साथ एक अन्य आरोपी मनोज विश्वास को राजपुर से गिरफ्तार किया गया। गबन की राशि से ट्रैक्टर और पिकअप खरीदा था जिसे पुलिस जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल किया गया है। इस पूरे मामले में सभी आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। प्रकरण की जांच विवेचना अनुसंधान अभी जारी है।

महत्वपूर्ण एवं खास

72 घंटे से जारी मुठभेड़ में दो और वर्दीधारी नक्सलियों के मिले शव

गरियाबंद-रायपुर (आरएनएस)। दिनांक: 19/01/2025 से अभी तक मुठभेड़ जारी है। 72 घंटे से चल रहे इस अभियान में 2 और वर्दीधारी नक्सली के शव बरामद किए गए जिसमें एक पुरुष एवं एक महिला नक्सली है। मुठभेड़ में 1 एके 47 एवं एक कंट्री मेड राइफल सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद किया गया है। नक्सल विरोधी सर्च अभियान में गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप में संयुक्त पार्टी कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में रवाना हुई थी।

मारे गए नक्सलियों का मेकाहारा में हो रहा पीएम

गरियाबंद-रायपुर (आरएनएस)। गरियाबंद जिले से लगे छत्तीसगढ़-ओडिशा के बॉर्डर पर सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 14 नक्सलियों के शवों का मेकाहारा में 22 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, इसमें 10 सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं. नक्सलियों के शवों को सुबह करीबन पांच बजे रायपुर लाया गया था.बता दें कि 19 जनवरी की रात से गरियाबंद जिला के कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें अब तक 14 नक्सली को शव बरामद किए गए हैं. इनमें एक करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपती भी शामिल था. बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा नक्सलियों को अब तक जवानों ने मार गिराया है, जिनके शवों का सर्च ऑपरेशन के दौरान रुक-रुक कर जंगलों में ढूंढने का क्रम जारी है.

नक्सलियों का सफाया करने अभियान लगातार जारी

बीजापुर-रायपुर (आरएनएस)। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया करने सुरक्षा बल के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे. इसके चलते बस्तर में लगातार नक्सली संगठन कमजोर होता नजर रहा है. सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हाईटेक ट्रेनिंग कैंप पर भी कब्जा कर लिया है.बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर स्थित भट्टिगुड़ा के जंगलों में नक्सलियों ने हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना रखा था. मंगलवार को कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप में धावा बोलकर कैंप को अपने कब्जे में लिया. साथ ही ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया. नक्सलियों ने गंगनचुम्बी पेड़ों को भी ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रखा था. ट्रेनिंग के लिए पक्के बैरक और झोपडिय़ां बनाए गए थे, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त किया.

आरआई के साथ पटवारियों का हुआ ट्रांसफर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का तबादला किया गया है. अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर रायपुर जिले के 10 पटवारियों और 7 राजस्व निरीक्षकों को इधर से उधर किया है.

मारकर दफनाया, फिर रख दिया गाय का शव

कवर्धा-धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र से लापता महासिंग बैगा (सिंदूरखार) का शव मध्यप्रदेश के बजाक थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है. जानकारी के अनुसार, महासिंग बैगा के शव को मिट्टी में गाडक़र उसके ऊपर गाय का शव रखा गया था, ताकि घटना को छुपाया जा सके. इस मामले में कबीरधाम पुलिस दो संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. उनकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा: कोतवाली, जूटमिल, खरसिया, घरघोड़ा, पूंजीपथरा की कार्यवाई में 86 लीटर महुआ शराब जप्त, 06 आरोपी गिरफ़्तार

रायगढ़

जिले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 86 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 15,650 रुपये है। इस दौरान 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

जूटमिल पुलिस की नेतनागर में दो बड़ी कार्रवाई

जूटमिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नेतानगर में दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 55 लीटर महुआ शराब बरामद की। पहली कार्रवाई में भूरू मिर्धा (40) को 20 लीटर महुआ शराब (कीमत 4,000 रुपये) के साथ पकड़ा गया। दूसरी घटना में मिश्रीलाल मिर्धा (40) को 35 लीटर शराब (कीमत 5,500 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध पृथक-पृथक धारा 34 (2), 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्रवाही की गई है। शराब रेड कार्रवाई में टीआई मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र पटेल, प्रधान आरक्षक शिव वर्मा, आरक्षक सुशील यादव, शशिभूषण, लखेश्वर पुरसेठ, नरेश रजक, बंशी लाल रात्रे शामिल थे।

खरसिया पुलिस की तत्परता

थाना खरसिया पुलिस ने ग्राम तुरेकेला में घेराबंदी कर चमरा राम सारथी (42) को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 लीटर महुआ शराब (कीमत 2,400 रुपये) जब्त की गई।

घरघोड़ा पुलिस का योगदान

घरघोड़ा थाना पुलिस ने ग्राम फगुरम में शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्तम चौहान (38) को 7 लीटर महुआ शराब (कीमत 1,050 रुपये) के साथ पकड़ा।

पूंजीपथरा पुलिस की सक्रियता

थाना पूंजीपथरा पुलिस ने ग्राम गेरवानी लोहरापारा में गजानंद अगरिया के घर छापा मारकर 7 लीटर महुआ शराब (कीमत 700 रुपये) जब्त की।

कोतवाली पुलिस की सख्ती

कोतवाली पुलिस ने ग्राम लाखा में पेट्रोलिंग के दौरान छबिल कुमार नायक (37) को 10 लीटर महुआ शराब (कीमत 2,000 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया।

जिले में पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाइयों से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान को जारी रखने का निर्देश देते हुए इसे पूरी सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। पुलिस का यह अभियान तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संदेश देता है।

65 पाव अंग्रेजी शराब के साथ युवक गिरफ़्तार कोतरारोड़ पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़

21 जनवरी 2025 कोतरारोड़ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत एक बडी कार्रवाई की। ग्राम धनागर स्थित नमो ढाबा के सामने से 19 वर्षीय युवक नवीन पटेल को अवैध अंग्रेज़ी शराब के साथ गिरफ़्तार किया गया।

थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी के पास से एक प्लास्टिक बोरी में 65 पाव गोवा स्पेशल अंग्रेज़ी शराब (कुल 11.7 लीटर) बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 8,750 रुपये है। पुलिस ने शराब और अन्य सामग्री जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान, आरक्षक चंद्रेश पांडेय, राजेश खांडे, राकेश नायक और महिला आरक्षक सुकृता कर्ष ने अहम भूमिका निभाई।

हत्या का प्रयास करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

आवेदिका शशि देवी साह पति विरेन्द्र साह उम्र 35 साल साकिन उमरपोटी रोड स्टेशन मरोदा थाना नेवई जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया के पति विरेन्द्र साह द्वारा चरित्र पर शंका कर झगडा विवाद एवं मारपीट करता रहता था दिनांक 23-12-2024 को भी प्रार्थिया के पति विरेन्द्र साह द्वारा अश्लील गालौच करते जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नियत से, ईट से प्रार्थिया के सिर में लगातार वारकर चोट पहुंचाकर भाग गया, जिससे प्रार्थिया के सिर में गंभीर चोट आने से इलाज हेतु जिला अस्पताल दुर्ग ले गये जहां से रिफर करने पर शंकरा अस्पताल जुनवानी में उच्च् इलाज हेतु भर्ती कराये है। कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मुर्त0 शशि देवी के मुलाहिजा रिपोर्ट एवं गवाहों के कथन पर आरोपी पति द्वारा प्रार्थिया पत्नि को हत्या करने कि नियत से गंभीर चोट पहुंचाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 109 बीएनएस जोडी गई। प्रकरण के आरोपी घटना दिनांक से सकुनत से फरार था जिसकी पता तलाश की जा रही थी। प्रकरण गंभीर किस्म का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराकर प्रकरण के फरार आरोपी त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी में मार्गदर्शन मे टीम गठित कर आरोपी की पतातलाश कि जा रही थी कि दिनांक 22-01-2025 को आरोपी विरेन्द्र साह पिता रामेश्वर साह उम्र 37 वर्ष साकिन उमरपोटी रोड स्टेशन मरोदा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, मुताबिक मेमो0 कथन के अनुसार घटना में प्रयुक्त ईट का टुकडा को जप्त किया गया है । आरोपी विरेन्द्र साह का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।

धान खरीदी बंद होने के 10 दिन पहले से ही किसानों को टोकन मिलना बंद, हड़कंप मचा

रायपुर । आरएनएस

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु अभी 10 दिन बाकी है लेकिन आसन्न 24 जनवरी के बाद की तारीखो के लिये न तो सोसायटी माड्यूल से और न ही आन लाइन टोकन काटा जा सक रहा है। इसे लेकर 24 जनवरी के बाद टोकन मिलने के इंतजार में बैठे किसानों में हडक़ंप मचा हुआ है। किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व?? मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मेल से ज्ञापन भेज अपने शेष बचे धान को बेचने की तैयारी में बैठे किसानों को खरीदी के अंतिम तिथि तक टोकन जारी करने व आन लाइन सिस्टम में टोकन काटते समय गलती की वजह से धान की कम मात्रा भरने के कारण अपने धान को न बेच पाने वाले किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करवाने का आग्रह किया है।

प्रेषित ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि शासन द्वारा धान खरीदी की अंतिम तिथि आगामी 31 जनवरी निर्धारित है लेकिन आसन्न 24 जनवरी के बाद की तिथि के लिये टोकन जारी करना बंद हो गया है । इस तिथि के बाद के लिये न तो आन लाइन टोकन कट पा रहा है और न ही सोसायटी माड्यूल से ही टोकन कट रहा है । उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा भी इसकी पुष्टि किये जाने की जानकारी देते हुये उन्होंने लिखा है कि इसकी वजह से पात्रताधारी किसानों को धान बेचने 24 जनवरी की बाद की तिथि के लिये टोकन नहीं मिल रहा है जिसके चलते उनमें हडक़ंप मचा हुआ है। इसी तरह आन लाइन टोकन काटने वाले किसानों द्वारा टोकन काटते समय गलती की वजह से धान की कम मात्रा अंकित किये जाने की वजह से निर्धारित टोकनों के समाप्त हो जाने के बाद भी धान बिक्री हेतु शेष रह जाने की जानकारी देते हुये बतलाया गया है कि ऐसे किसानों की सूची किसानों के आग्रह पर सोसायटियों द्वारा कलेक्टर (खाद्य शाखा) को भेजा गया है व प्रक्रिया जारी है। ऐसे किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करने की मांग की गयी है ताकि किसान अपनी धान निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने तक बेच सके।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का सातवां जत्था कांकेर से चंडीगढ़ के लिए रवाना

भिलाई-रायपुर । आरएनएस

16वाँ आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत दिनांक 22 जनवरी 2025 को जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के अति दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से 20 आदिवासी युवा लडक़े एवं 20 युवा लड़कियों के सातवें जत्थे को रायपुर रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। सीमा सुरक्षा बल के पुरूष सुरक्षा अधिकारी और महिला सुरक्षा अधिकारी भी इनके साथ रवाना हुए। ये जत्था चंडीगढ़ में भारत के विभिन्न राज्यों के अन्य आदिवासी युवाओं से मिलकर अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी युवक एवं युवतियों को उनके उज्ज्वल भविष्य तथा अधिकार के बारे में उचित व उपयुक्त जानकारी प्रदान की जायेगी, साथ ही साथ अन्य राज्यों से भाग लेने वाले युवक-युवतियों के बीच मेल-मिलाप बढ़ेगा, जिससे वे एक-दूसरे के खान-पान, रहन-सहन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं वेशभूषा से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के स्थानीय लोक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जायेगी। साथ ही चंडीगढ़ के प्रसिद्ध, दर्शनीय एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। रूङ्घ भारत (नेहरू युवा केन्द्र संगठन), नई दिल्ली, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 16वाँ आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम की अवधि 07 दिन है। छत्तीसगढ के कांकेर और नारायणपुर जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के नक्सल प्रभावित इलाके से इस वर्ष कुल 13 भ्रमण कार्यक्रमों के अंतर्गत 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के 500 चयनित युवा भाग ले रहे है। इस आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में संवैधानिक अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद सत्र, पैनल चर्चा, व्याख्यान सत्र, भाषण प्रतियोगिता, कैरियर संबंधी मार्गदर्शन, चल रहे खेल आयोजनों के बारे में जानना शामिल है। इसके अलावा प्रतिभागी चंडीगढ़ के उद्योगों एवं सुरक्षा बलों के कैम्पों का भ्रमण करेंगे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

छह लाख रूपए लूट की घटना निकली फर्जी, मुनीम ही निकला आरोपी

मुंगेली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का किया पर्दाफाश

मुंगेली । आरएनएस

गर्ल्स स्कूल मुंगेली के पीछे मंगलवार को हुई लूट की घटना फर्जी निकली है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया की लूट की रिपोर्ट लिखवाने वाले मुनीम ने ही अपने मालिक का पैसा गबन करने की नीयत से अपने एक साथी के साथ मिलकर लूट की फर्जी कहानी बताई थी। मामले में पुलिस ने मुनीम एवं उसके साथी को गिरफ्तार किया है तथा आरोपियों से गबन की गई रकम बरामद की है।

बता दें कि दिनांक 21.01.2025 के दोपहर करीबन तीन बजे एक राईस मील के मुनीम शुभम सिंह ने उसके साथ गर्ल्स स्कूल मुंगेली के पीछे पुल के पास 06 लाख रूपये की लूट होने की सूचना कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। सूचना पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा उक्त सूचना को तत्काल पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली मयंक तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर जिले में नाकेबंदी चेक प्वाइंट लगाकर सघन चेक करने व साइबर सेल एवं थाना सिटी कोतवाली मुंगेली की विशेष टीम गठित कर प्रकरण में तत्काल आरोपियों के संबंध में पता तलाश करने का निर्देश दिया गया। जिस पर साइबर सेल एवं थाना सिटी कोतवाली मुंगेली की विशेष टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे 25-30 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गयी। विभिन्न फुटेज में मुनीम शुभम ठाकुर की ही गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसी तारतम्य में तकनीकी आधार पर सर्विलांस करने एवं बैंक से मुनीम के पैसा आहरण करने संबंधी जानकारी प्राप्त करने एवं बारिकी से पूछताछ करने पर लूट की रिपोर्ट लिखाने वाला मुनीम टूट गया और बताया कि उसने ही अपने साथी महावीर सोनी के साथ मिलकर घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। आरोपी शुभम ठाकुर ने बताया कि पैसे से भरे ब्राउन कलर के बैग को लेकर रामगढ़ के आगे खाली प्लाट में गया, योजना अनुसार महावीर सोनी पहले से था, जो शुभम ठाकुर के मोबाइल को वहीं पास पटककर तोड़ दिया और वहां पर की मिट्टी को उठाकर शुभम के कपड़े में लगा दिया एवं बैग से पैसे निकालकर पैसे वाला बैग को फ डक़र वहीं पर फेंक दिया। आरोपी शुभम द्वारा ब्लेड से अपने शरीर पर 3-4 जगह काटने का निशान बनाया व अपना टूटा हुआ मोबाईल को घटनास्थल के पास फेंक दिया और खुद को लूटे जाने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों की सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य के आधार जांच कार्यवाही कर 500 के 10 बंडल एवं 100 के 10 बंडल कुल 06 लाख रूपये को आरोपियों से बरामद कर लिया गया है।